(164)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : एफ–2(50)जविप्रा/अआ/एलपीसी/15/डी– 276 दिनांक: 28-3-17

आदेश

नगरीय विकास विभाग की भूमि आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 7.6 से 7.9 (फोटो प्रति संलग्न) के अनुसार नगरीय निकायों द्वारा रियायती दर पर आवंटित की गयी भूमि की शर्तों की पालना एवं निगरानी एक समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक नगरीय निकाय स्तर पर एक कमेटी का गठन कर रजिस्टर संधारण करने व त्रैमासिक रूप से भौतिक सत्यापन करने व आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही करने का प्रावधान किया गया है।

नगरीय विकास विभाग के पत्रांक प.3(55)नविवि/3/2002 दिनांक 30.03.16 से कमेटी गठन करने के आदेश प्राप्त हुये थे। जिसके क्रम में प्राधिकरण समसंख्यक पत्रांक डी–658 दिनांक 26.09.16 (प्रति संलग्न) से जविप्रा के संबंधित जोन उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी गई है।

प्राधिकरण के समसंख्यक पत्रांक डी–822 दिनांक 05.11.15 व डी–403 दिनांक 05.07.16 के द्वारा नगरीय विकास विभाग की भूमि आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 7.6 के अनुसार संबंधित विभागों को उक्त गठित कमेटी में उनके विभाग से एक अधिकारी मनोनीत करने हेतु लिखा गया था। जिन विभागों द्वारा अधिकारी मनोनीत किये गये है, उनका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र.सं.	विभाग	नाम अधिकारी मय पद
1.	चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	डॉ. संजय सिंघल, प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर
2.	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर	श्री शिवराज सिंह परमार, सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर
3.	आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	जयपुर संभाग का उपनिदेशक अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी
4.	प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर	श्री महेश शर्मा, प्रधानाचार्य, राजकीय खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालयय, जयपुर (मो. नं. 9829174844)

अतः जयपुर विकास प्राधिकरण के सभी जोन उपायुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि वे संस्थागत भूमि आवंटन के प्रकरणों की विभागावार अद्यतन सूची संबंधित विभागाध्यक्ष को भिजवायें। संबंधित विभाग के मनोनीत अधिकारी नविवि की भूमि आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 7.6 के अन्तर्गत संस्थागत भूमि आवंटन के प्रकरणों का भौतिक सत्यापन जविप्रा के संबंधित जोन के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी के साथ करेंगे। उपायुक्त भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करेंगे तथा भविष्य में समय–समय पर भौतिक सत्यापन कर शर्तों की पालना सुनिश्चित करायेंगे।

(पुरूषोत्तम बियाणी)
सचिव